सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 984 राँची, गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 नवम्बर 2019

संख्या:- 8/आरोप-10/2019 का० 9266-- झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री प्रभुनाथ शर्मा, तत्कालीन अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग सम्प्रति-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन एस०ए०आर० पदाधिकारी, राँची से सम्बन्धित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या- WP(S)No.-1753/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-31.08.2017 को पारित आदेश में प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को श्री टोप्पो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने हेतु 01 माह का समय दिया गया था अन्यथा श्री टोप्पो का निलम्बन आदेश निरस्त हो जाने का आदेश था, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव श्री शर्मा द्वारा संचिका में उपस्थापित नहीं किया गया, जिससे न्यायालय के आदेश की अवमानना के साथ-साथ विभाग की छवि धूमिल हुई।

2. उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा, अवर सचिव के विरूद्ध प्रशासी विभाग द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गौरी शंकर मिंज, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 984 -- 50